न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 57/2025 G.C.M.S. No. 2025/300 दर्ज दिनांक : 10.06.2025

अपीलार्थिगण:

1. मलाराम गोरा पुत्र धाराराम, जाति जाट, निवासी खराड़ी, निवासी खराड़ी, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
2. चुतराराम पुत्र तुलछाराम, जाति जाट, निवासी रामावास खुर्द, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मिठुकंवर पुत्री फतेहसिंह, पत्नि भंवरसिंह
2. छोटू कंवर पुत्री फतेहसिंह, पत्नि दशरथसिंह, जातियान राजपूत, निवासी रामावासकलां, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
3. तहसीलदार जैतारण व जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 52/2022 बअनवान मिठूकंवर बनाम मलाराम में पारित आदेश दिनांक 07.05.2025

पैरोकार–

1. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, श्री खुशवंत, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मनोहरदास वैष्णव, श्री भगवतसिंह अखावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 22.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 52/2022 बअनवान मिठूकंवर बनाम मलाराम में पारित आदेश दिनांक 07.05.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 ने एक दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें धारा 212 आर.टी. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया। रेस्पोंडेण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि ग्राम रामावासकला में खसरा नम्बर 130 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा भूमि में कुंआ खुदा हुआ है, जिसमें पानी लेने का प्रार्थी को अधिकार है व उसमें ट्यूबबेल है, जिसमें 10 एच.पी. का विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है, जिसके उपयोग–उपभोग में अपीलाण्ट बाधा नहीं पहुंचाये व अन्य खसरा के बारे में अनुतोष चाहा। अपीलाण्ट ने अपने जवाब के पैरा नम्बर 4 में स्पष्ट किया कि खसरा नम्बर 130 में कोई पुराना कुंआ नहीं हैं तथा न ही 10 एच.पी. का विद्युत कनेक्शन ले रखा है। इसलिए रेस्पोंडेण्ट का यह कहना कि खसरा नम्बर में पुराना कुंआ खुदा है व विद्युत संबंध लिया हुआ है, जिस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जांच नहीं की, न

Scanned with OKEN Scanner

ही कोई रिपोर्ट मंगवायी कि उपरोक्त खसरा में कुंआ खुदा हुआ है या नहीं व विद्युत कनेक्शन है या नहीं व रेस्पोंडेण्ट ने किस आधार पर उपरोक्त भूमि में कुंए के पानी लेने का अधिकार है, जिस संबंध में कोई जांच नहीं की। इसके अतिरिक्त न तो मौका रिपोर्ट मंगवायी गई, न ही इस संबंध में जांच की गई कि खसरा नम्बर 130 में कुंआ खुदा हुआ है या नहीं, वहां 10 एच.पी. की विद्युत कनेक्शन या मोटर लगी हुई हैं या नहीं व रेस्पोंडेण्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी कि खसरा नम्बर 130 में कुंआ व उस पर लगी 10 एच.पी. का विद्युत कनेक्शन व मोटर के उपयोग–उपभोग में अपीलाण्ट बाधा नहीं पहुंचाये, जबकि वहां पर कोई कुंआ नहीं हैं, न ही विद्युत मोटर लगी हुई हैं, न ही कनेक्शन है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये व बिना रेस्पोंडेण्ट के अधिकारों की जांच किये बगैर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की हैं, जो सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.05.2025 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट्स को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया रेस्पोंडेंट द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि ग्राम रामावासकलां तहसील जैतारण में खसरा संख्या 130 वादिया की माता लाडकुंवर की खातेदारी आराजी थीं। जिसे लाडकंवर ने दिनांक 29.06.2012 को वादिया पुत्रियां को बख्शीश कर दी गई। उक्त आराजी में पुराना कुंआ व ट्यूबवेल खुदा हुआ है तथा माता लाडकुंवर के नाम विद्युत कनेक्शन लिया हुआ था। जिसे वादिया मिट्ठूकंवर के नाम ट्रांस्फर करवाया गया। खसरा संख्या 130 का मूल रकबा 56–3 बीघा था। जिसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के दादा हमीरसिंह एवं 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण की माता लाडकुंवर के नाम दर्ज था। हल्का पटवारी द्वारा गलत रूप से उक्त खसरे में से 33 बीघा जमीन रामसिंह दत्तक पुत्र मंगलसिंह के नाम कर दी। जिनके फौत होने पर पत्नि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मिट्ठूकंवर व नरेन्द्रसिंह का नाम दर्ज हुआ। जिन्होंने दिनांक 24.02.2022 को उक्त 33 बीघा जमीन अपीलांट्स को बेचान कर दी गई। उक्त बेचान को शून्य घोषित करवाने बाबत सिविल न्यायालय में वादपत्र जैरकार है। उक्त 33 बीघा आराजी मूल खसरा संख्या 130 से पृथक होकर खसरा संख्या 214/130 रकबा 33 बीघा अपीलांट्स के नाम दर्ज हुई तथा खसरा संख्या 130 रकबा 23 बीघा रेस्पोंडेंट्स के नाम दर्ज हुई। रेस्पोंडेंट्स वादीगण के अनुसार 33 बीघा का बेचान व अलग से तरमीम व खसरा संख्या का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है। मूल आराजी में पुराना कुंआ व ट्यूबवेल, व विद्युत कनेक्शन है। जिसे अप्रार्थीगण अपीलांट फसल पिलाई करने से रोकते हैं। अतः इन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस में एवं अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट खसरा संख्या 130 के अभिलिखित खातेदार है। जिनके विरूद्ध वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट को पाबंद किया गया। अतः अपीलाधीन आदेश काबिल अपास्त है।

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलांट खसरा संख्या 130 के अभिलिखित खातेदार है तथा रेस्पोंडेंट्स द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में खसरा संख्या 130 की आराजी के संबंध में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। हमारे विनम्र मत में यह सुस्थापित है कि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत वादपत्र प्रस्तुत करने व अनुतोष प्राप्त करने के लिए अभिलिखित खातेदार ही सक्षम है। चूंकि रेस्पोंडेंट्स खसरा संख्या 130 के अभिलिखित खातेदार नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में वस्तुतः रेस्पोंडेंट्स को स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं हैं। फलस्वरूप प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट्स के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला साबित होने का प्रश्न ही नहीं उठता एवं साथ ही चूंकि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात के अभिलिखित खातेदार है। अतः सुविधा का संतुलन भी अभी अपीलांट खातेदार के पक्ष में ही निहित है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों की सम्यक विवेचना करने में वस्तुतः भूल की हैं तथा प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित मानना दूषित है। इसी प्रकार चूंकि अपीलांट अभिलिखित खातेदार है, अतः ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट्स को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो खातेदार अपने प्राथमिक काश्तकारी अधिकारों के उपयोग–उपभोग से वंचित होगा। जिससे अपीलांट को ही अपूर्णीय क्षति संभव है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

करने में वस्तुतः कानूनन व तथ्यात्मक भूल की हैं तथा ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दूषित होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने एवं अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 52/2022 बअनवान मिठूकंवर बनाम मलाराम में पारित आदेश दिनांक 07.05.2025 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **22.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली